संख्या-13 /2018/1697/46-3-18-3(37)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 01 अक्टूबर, 2018**

विषय- चीनी एवं शीरा के बाजार मूल्य में हुई गिरावट व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसानो के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु, पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी एवं शीरा के बाजार मूल्य में हुई गिरावट व अन्य कारणों को दृष्टिगत रखते हुए एवं किसानो के बकाया गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु, पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से चीनी मिलों को वित्तीय सहायता, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन, दिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) वित्तीय सहायता की धनराशि पेराई सत्र 2017-18 में चीनी मिल के देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष समायोजित करते हुए सीधे किसानों को उनके खातें में भुगतान की जायेगी तथा ऐसे कृषकों जिनका शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिल द्वारा किया जा चुका है, के सापेक्ष वित्तीय सहायता की धनराशि को उनके खाते में नहीं भेजी जाएगी एवं ऐसी दशा में वित्तीय सहायता की धनराशि का भुगतान चीनी मिल को किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु रु.500 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

(2) वित्तीय सहायता का आगणन चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में खरीदे गये कुल गन्ने की मात्रा के आधार पर, रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से, किया जायेगा तथा यह धनराशि, संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं चीनी मिल के संयुक्त संचालन में खोले गये एस्क्रो एकाउन्ट में हस्तांतरित की जायेगी।

(3) वित्तीय सहायता की मांग हेतु चीनी मिल द्वारा अपना अनुरोध पत्र एस्क्रो एकाउन्ट के खाते के विवरण सहित, संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त के माध्यम से, उनकी संस्तुति/प्रमाण-पत्र सहित, गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. को प्रेषित किया जायेगा।

(4) चीनी मिलों को एस्क्रो एकाउन्ट में भुगतान की गई वित्तीय सहायता की धनराशि मे से, पेराई सत्र 2017-18 में आपूर्ति की गयी गन्ने की मात्रा के आधार पर, राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के सापेक्ष, अवशेष गन्ना मूल्य की धनराशि, डी.बी.टी/आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से, कृषकों को सीधे बैंक खाते में भुगतान कर दी जायेगी। इस प्रकार गन्ना कृषकों के गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान कर दिये जाने के उपरान्त, पेराई सत्र में रु.4.50 प्रति कुन्टल की दर से अनुमन्य वित्तीय सहायता की अवशेष धनराशि का भुगतान चीनी मिल को कर दिया जायेगा।

(5) जिन चीनी मिलों के द्वारा पेराई सत्र 2017-18 के लिए निर्धारित राज्य परामर्शित गन्ना मूल्य के अनुसार गन्ना कृषकों को शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है, उन्हें पेराई सत्र में कुल क्रय किये गये गन्ने की मात्रा के सापेक्ष अनुमन्य वित्तीय सहायता की धनराशि संबंधित चीनी मिल को भुगतान कर दी जायेगी।

(6) वित्तीय सहायता की धनराशि एस्क्रो एकाउन्ट में प्राप्त होते ही चीनी मिल द्वारा कृषकवार एडवाइज तैयार कर अथवा जहॉ गन्ना समितियॉ स्वयं एडवाइज तैयार कर रही हैं, वहॉ यह कार्यवाही संबंधित समिति द्वारा स्वयं सम्पादित करते हुए, तैयार की गयी एडवाइज, चीनी मिल/समिति द्वारा जिला गन्ना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) जिला गन्ना अधिकारी द्वारा चीनी मिल/समितियों से प्राप्त एडवाइज का परीक्षण एवं शासन द्वारा स्वीकृत वित्तीय सहायता की धनराशि का मिलान करते हुए, इसके भुगतान हेतु कृषकवार एडवाइज सहित, संबंधित बैंकों को अपना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संस्तुति पत्र प्रेषित किया जायेगा। तद्नुसार बैंक द्वारा किसानो को देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष एस्क्रो एकाउन्ट में उपलब्ध वित्तीय सहायता की धनराशि उनके खातों में डी.बी.टी/ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से, अन्तरित कर दी जायेगी।

(8) जिला गन्ना अधिकारी, संबंधित जिले की सभी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता के आगणन एवं भुगतान, कृषकों का चिन्हांकन तथा खाते में भुगतान तथा उसके नियमानुसार शत-प्रतिशत उपयोग हेतु नोडल अधिकारी होंगे।

(9) वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2017-18 में देय हुए गन्ना मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान किये जाने हेतु **निर्धारित कट-आफ-डेट 30 नवम्बर, 2018** होगी। वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली चीनी मिलों को उक्त तिथि तक पेराई सत्र 2017-18 का शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

(10) चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दिये जाने हेतु, वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि, शासन द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं चीनी मिल की मांग के अनुसार गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के स्तर से संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं चीनी मिल के संयुक्त संचालन में खोले गये एस्क्रो एकाउन्ट में हस्तांतरित की जायेगी।

(11) वित्तीय सहायता के मद में गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के विवरण सहित, उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा. संख्या-ई-6-756/दस-2018, दिनांक 29 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

संख्या- 13 /2018/ 1697(1)/46-3-18-3(37)/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ. प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
8- महासचिव, उ.प्र. शुगर मिल्स एसोसियेशन, चिन्टल हाउस, लखनऊ।
9- समस्त परिक्षेत्रीय-उप/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त अध्यासी, निजी क्षेत्र की चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश। **(द्वारा-गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ के माध्यम से)**
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ.प्र. शासन।
13- चीनी उद्योग अनुभाग-1/2
14- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

नरेश बहादुर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।